File No.38-2002(002)/1/2021-2

संख्या- 35/2021/।/64071/2021 एस-111/38-2-2021

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2021**

विषय:-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा आपके पत्रांक-09/1/प्रशि0/बजट आवंटन(4)/2021-22, दिनांक 07-04-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,003-प्रशिक्षण,03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों से सम्बन्धित होने वाले व्यय को वहन करने हेतु संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार क्रमश: रूपये 1065.50 लाख (रूपये दस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) तथा रू0 6901.01 लाख (रूपये उन्हत्तर करोड़ एक लाख एक हजार मात्र) अर्थात् कुल रूपये 7966.51 (रूपये उन्यासी करोड़ छाछठ लाख इक्यावन हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जाय तथा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाईवर्ट नहीं किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ तथा लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,003-प्रशिक्षण,03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 35/2021/।/64071/2021 एस-111/38-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम-द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-ययक) अनु0-1/2
7- ग्राम्य विकास अनु0-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 35/2021/I/64071/2021 एस-111/38-2-2021, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 का संलग्नक।

अनुदान संख्या-13

लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102-सामुदायिक विकास 04-दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	
मानक मद	धनराशि (लाख रू0 में)
01-वेतन	670.00
02-मजदूरी	3.00
03-मंहगाई भत्ता	201.00
04-यात्रा व्यय	2.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50
06-अन्य भत्ते	3.00
08-कार्यालय व्यय	6.00
09-विद्युत देय	65.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
18-प्रकाशन	0.50
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.50
29-अनुरक्षण	3.00
42-अन्य व्यय	1.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
49-चिकित्सा व्यय	10.00
51-वर्दी व्यय	0.50
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-
55-मकान किराया भत्ता	55.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	-
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00
योग	**1065.50**

(रूपये दस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र)

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा

लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 003-प्रशिक्षण 03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	
मानक मद	धनराशि (लाख रू0 में)
01-वेतन	5020.00
02-मजदूरी	25.00
03-मंहगाई भत्ता	1506.00
04-यात्रा व्यय	9.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	20.00
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	45.00
10-जलकर/जल प्रभार	15.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	5.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00
29-अनुरक्षण	2.00
42-अन्य व्यय	0.01
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00
49-चिकित्सा व्यय	40.00
51-वर्दी व्यय	1.50
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	-
55-मकान किराया भत्ता	130.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	-
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15.00
योग	**6901.01**

(रूपये उनहत्तर करोड़ एक लाख एक हजार मात्र)

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।